बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

। अधिसूचना ।

सचिका संख्या–3/वि0–109/17–485 पटना, दिनाक– 04/04/2018

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशसा के आलोक मे गठित राज्य वेतन आयोग द्वारा वेतन संरचना से इतर सेवा सवर्ग के लिए अन्य अनुशसाएँ भी की गई है। उक्त के क्रम में वित्त विभाग के पत्राक–3907 दिनाक–07.06 2017 द्वारा राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित किया गया है कि वेतन सरचना से इतर आयोग द्वारा की गई अन्य अनुशंसाओं पर संबंधित प्रशासी विभागो द्वारा अतिम निर्णय लेकर तत्सबधी आदेश निर्गत किया जाना है।

2 आयोग की अनुशसा अध्याय 32 मे लेखा लिपिक एव अन्य लिपिक के सबध मे निम्नाकित गैर वित्तीय अनुशंसा की गई है–

" (क) क्षेत्रीय स्थापनाओं के विभिन्न पदनाम यथा लेखा लिपिक, भंडारपाल, पत्राचार लिपिक, निम्नवर्गीय लिपिक एवं उच्च वर्गीय लिपिक का अलग–अलग संवर्ग नहीं होगा, अपितु ये सभी सामान्य लिपिक संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिक/उच्चवर्गीय लिपिक के नाम से जाने जायेंगे। लेखा लिपिक मरणशील संवर्ग होगा तथा इस पद पर नई नियुक्ति नही की जाएगी।"

3. अत उक्त के आलोक मे लोक स्वास्थ्य अभियत्रण विभाग द्वारा निम्नाकित निर्णय लिया जाता है–

i. विभागीय अधिसूचना संख्या–810 दिनांक–19.06.2014 द्वारा निर्मित लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल स्तर लेखा लिपिकीय संवर्ग मरणशील संवर्ग रहेगा।

ii. भविष्य में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग लेखा लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2014 के अधीन लेखा लिपिक के पद पर कोई नई भर्ती/नियुक्ति यथा सीधी भर्त्ती/प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति/अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं की जाएगी।

iii. उपर्युक्त निर्णय तुरन्त के प्रभाव से लागू होंगे । परन्तु पूर्व से लेखा लिपिक/वरीय लेखा लिपिक के पदों पर कार्यरत कर्मी अपने पद पर बने रहेंगे और जैसे–जैसे पद रिक्त होते जायेंगे, वे पद स्वतः सामान्य लिपिकीय संवर्ग में सम्मिलित/समाहित माने जायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
4/4/18
सचिव

ज्ञापांक–3/वि0–109/17-485 पटना, दिनाक– 06/04/2018

प्रतिलिपि– ई–गजट को0, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो हार्ड कॉपी सीडी सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अक मे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सचिव

ज्ञापांक–3/वि0–109/17-485 पटना, दिनाक– 06/04/2018

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी आयोग को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव